भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 163*

जिसका उत्तर सोमवार, 08 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

स्वदेशी वाहन विनिर्माताओं पर लगाए गए प्रतिबंध

163*. डा. प्रकाश बांडा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वाहन उद्योग से संबंधित निकाय-सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा है कि यदि आयातित इस्पात का उपयोग करने वाले स्वदेशी विनिर्माताओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकलता है, तो वाहन विनिर्माता वाहनों के उत्पाद को रोक देने पर विचार कर सकते हैं;

(ख) क्या सरकार ने वाहन विनिर्माताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित स्थानीय रूप से उत्पादित उच्च कोटि के इस्पात का उपयोग आरंभ किए जाने की अंतिम तिथि को फरवरी, 2019 तक बढ़ा दिया है;

(ग) क्या वाहन विनिर्माताओं ने अच्छी गुणवत्ता का इस्पात न मिल पाने का हवाला देते हुए उच्च कोटि के इस्पात को स्थानीय रूप से प्राप्त करने हेतु एक वर्ष का समय मांगा था; और

(घ) यदि नहीं, तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की इस दलील पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"स्वदेशी वाहन विनिर्माताओं पर लगाए गए प्रतिबंध" के संबंध में डा. प्रकाश बांडा द्वारा पूछे गए दिनांक 08.07.2019 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 163 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): इस्पात का आयात करने के लिए भारतीय घरेलू ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। तथापि, देश में उत्पादित/आयातित इस्पात की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, केवल बीआईएस पंजीकृत विनिर्माताओं से ही इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ), दिनांक 13.08.2018 में शामिल अधिसूचित भारतीय मानकों (आईएस) में शामिल इस्पात की श्रेणियों (ग्रेड) के उत्पादन/आयात की अनुमति है। अन्य मामलों में, अर्थात जहाँ श्रेणियां क्यूसीओ में तहत शामिल नहीं है, वहां यह विनियम लागू नहीं होता है।

गुणवता नियंत्रण आदेशों अथवा तकनीकी विनियमों को लोक हित के लाभ अथवा मानव, पशु के संरक्षण या संयंत्र की हालत, पर्यावरण की सुरक्षा अथवा अनुचित व्यापार कार्य-प्रणाली को रोकने या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लागू किया जाता है। इस्पात मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 की धारा 16(i) के तहत इस्पात उत्पादों की 53 श्रेणियों पर इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया है।

(ख): जी, हां। उद्योग के अनुरोध पर, क्यूसीओ को लागू करने की तिथि को विलम्बित कर दिया गया है। ऑटोमोटिव उद्योग के अनुरोध पर, दिनांक 18 दिसंबर, 2018 से प्रभावी दिनांक 13 अगस्त, 2018 के क्यूसीओ में मानकों (आईएसः 4454 पार्ट-1 2001, आईएसः 4454 पार्ट-2 2001, आईएसः 11169 पार्ट-1: 1984, आईएसः 6603 : 2001, आईएसः 4824 : 2006, आईएसः 6527 : 1995, और आईएसः 6528 : 1995) के तहत आने वाली श्रेणियों (ग्रेड) को तीन अवसरों पर छूट दी गई है। 5 भारतीय मानकों के तहत आने वाली सभी श्रेणियों के लिए ऐसी अंतिम छूट नीचे दी गई है:

क्यूसीओ से छूट प्राप्त मानक	छूट की अवधि
आईएस: 4454 पार्ट-2 : 2001 आईएस: 11169 पार्ट-1 : 1984 आईएस: 6603 : 2001 आईएस: 6527 : 1995 आईएस: 6528 : 1995	दिनांक 17.08.2019 तक 4 महीने की छुट

(ग) और (घ): जी, हां। ऑटोमोटिव उद्योग ने एक वर्ष का समय मांगा था; भारत और विदेश में लाइसेंसकृत विनिर्माण, उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं (ऑटोमोटिव उद्योग) के स्टेकहोल्डरों से विचार-विमर्श करने के बाद तथा देश में सक्षमताओं का आकलन करने के बाद तीन अवसरों पर क्यूसीओ को लागू करने की अवधि को बढ़ाया गया है, जैसा कि उपर्युक्त बिंदु (ख) में दिया गया है।

******